

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम

एवं जिला कलक्टर उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 51/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Kishan Ahir Add: Ahiro ka mohalla, Hamerpura, Post-Bhopakhera,
Udaipur

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीण्डर, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 12/05/2025



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 32912124582829 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6095161372 दिनांक 03.04.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/51/25/344-45 दिनांक 03.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/140 दिनांक 09.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन संख्या 329704511323009 द्वारा सूचना चाही गई। प्रार्थी को चाही गई सूचना कार्यालय पत्रांक के आरटीआई/2025/126 दिनांक 28.04.2025 से अपीलार्थी स्वयं को उपलब्ध करा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीण्डर के कार्यालय में दिनांक 28.04.2025 को स्वयं उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त ली है। सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12-05-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)

प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर